न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 138/2018

नरेन्द्र बनाम जरनैल सिह वगैरा

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाईप–लाईन डालने की स्वीकृति देने बावत

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चक 4 एलएलडब्ल्यु खाता संख्या 78/70 खाता सावरअली वगैरा व खाता सं. 87/79 खाता हाकमसिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 पं. नं. 140/215 मु.नं. 52 के किला नं. 20 में लगे टयूबैल से पं. नं. 140/215 मु.नं. 52 के किला नं. 2,9,10,11 व पं.नं. 140/240 मु.नं. 50 के किला नं. 3,7,13,18,22 तक पाईप लाईन मन्जूर किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये। तहसीलदार संगरिया से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर उन्होने अपने पत्रांक 78 दिनांक 06.02.2020 द्वारा अवगत करवाया है कि चक 4 एलएलडब्ल्यु में प.न. 140/215 मु.न. 20 में सिंचाई कुआ बना हुआ है प.न. 140/214 मु.न. 50 किला नं. 3 मे से होते हुए प.न. 140/213 मु.न. 27 किला नं. 23 मे अपने काश्त शुद्वा रकबे तक भूमिगत पाईप लाईन के बीच में पड़ने वाली भूमि के काश्तकार सहमत नही होना बतलाया।

तहसीलदार राजस्व संगरिया के जवाब तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्रार्थी की मांग/सिचाई सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

- पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
- प्रार्थी प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगा।
- शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
- तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष मे जमा करवाये।
- रास्ता/खाला को कोई नुकसान नही पहुचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थी को चक 4 एलएलडब्ल्यु प.न. 140/215 मु.न. 52 के किला ने. 2,9,10,11,20, एवं पं.न. 140/214 मु.न. 50 के किला नं. 3,7,13,18,22 में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नहीं करेंगें। प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने एवं राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी।

तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.2.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner